न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
	मेहन्द्रीसिंह बनाम सेवासिंह 07/17 श्रीमान जी, इजराय पेश है। 1. कोर्ट फीस चस्पा है। 2. क्षेत्राधिकार में है। 3. डिक्री दिनांक 27/12/16 की पालना हेतु पेश है। 4. समयावधि पूर्ण है। अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ सादर प्रेषित है। [signature] 2/2/17 SDOsb
2/2/17 22/2/17	डिक्रीदार उपस्थित। इजराय पेश की दर्ज रजिस्टर की जावे। तहसीलदार, कोटकासिम को पालना हेतु अहकाम जारी हो। यदि प्रकरण में किसी सक्षम न्यायालय में स्थगन, अपील न हो, तो डिक्री दिनांक 27/12/16 की पालना की जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 23/2/17 को पेश हो। [signature]
11/2/17	आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत 2017 में पेश हुई। पक्षकारों [illegible] ने [illegible] की [illegible] प्रकरण में श्रीमान RAA न्यायालय अलवर में [illegible] है। डिक्री पक्षकारों के [illegible] होने से पालना [illegible] नहीं है। [illegible] पत्रावली [illegible] की जाती है। पत्रावली [illegible] राष्ट्रीय लोक अदालत में [illegible] गया। [signature] [signature] [signature]

प्रमाणित छाया प्रति

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी :- उम्मेदीलाल मीणा RAS

दावा संख्या	दायरा तिथि	दावा निर्णय तिथि
208/2013	3-9-2013	27-12-2017

उनवान

(1) महेन्द्रसिंह पुत्र बेगराज जाति अहीर ग्राम मलवास तह. कोटकासिम जिला अलवर राज. ।

:- वादी

बनाम

(1) सेवासिंह पुत्र कुड़िया सिंह जाति लबाना सिख साकिन-श्रीनगर प्लाट सं. 268 कैम्प गुडगांव तह. व जिला गुडगांव हरयाणा

(2) हरनामसिंह पुत्र कुड़िया सिंह जाति लबाना सिख साकिन- 60-फुट रोड, निकट गुरुद्वारा, खैरथल तह. किशनगढ़ (अलवर)

(3) बलजीत कौर पुत्री श्रीमत बाई

(4) परमजीत पुत्र श्रीमत बाई जाति लबाना सिख साकिन 60-फुट रोड, खैरथल तह. किशनगढ़ (अलवर) ।

(5) सहीराम पुत्र श्योदान जाति अहीर निवासी सिलपटा ।

(6) जसवन्त पुत्र बेगराज

(7) अमीलाल पुत्र बेगराज जाति अहीर ग्राम मलवास ।

(8) चरनसिंह पुत्र रणजीत जाति मीणा ग्राम सिलपटा तह. कोटकासिम ।

(9) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कोटकासिम जरिये शाखा प्रबन्धक कोटकासिम ।

(10) राजस्थान सरकार जरिये मुख्त्यारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तह. कोटकासिम जिला अलवर)

:- प्रतिवादीगण

मिलान किया गया
पढ़ा सुना

दावा इन्तकाल/रहन, दुरुस्ती इन्द्राज मय तनाजा मय हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88-89, 53-188 RT Act 1955

उपस्थित:-
(1) श्री रामफल यादव अधिवक्ता वादी
(2) " रणवीर सिंह यादव अधिवक्ता प्रति.

:: निर्णय ::-

वादी द्वारा यह दावा इन्तकाल/रहन, दुरुस्ती इन्द्राज

सत्यप्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी

मय तकासमा मय हुक्म फिक्स नाई दवामी अन्तर्गत धारा 88-89-53-180 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम - 1955 इस न्यायालय में पेश किया जिसके आलोच्य तथ्यानुसार विवादित आराजियात हाल ख.नं. 177/0.82, 178/0.57 हे. में से 1/2 भाग जो सेवासिंह, हरनामसिंह पुत्रान सोमसिंह श्रीमतबाई पुत्री कुड़िया सिंह कौम लबाना सिख निवासी कोटकासिम गैर खातेदार 1/2 भाग का अंकन हजफ कर इसके स्थान पर वादी को 1/4 भाग व प्रतिवादी सं. 6 को 1/4 भाग का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल कराया जावे तथा हाल ख.नं. 179/0.40 हे. में से 3/8 भाग में 1/2 भाग का वादी को 1/2 भाग प्रतिवादी सं.6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। श्रीमतबाई पुत्री कुड़ियासिंह का नाम हजफ किया जावे। रुघीराम पुत्र श्योदान अहीर को 5/8 भाग का खातेदार दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज प्रति. 1 ता 4 हजफ किया जावे शेष बदस्तूर रहे तथा उक्त विवादित आराजियात का बाई मेट्स एण्ड बाउन्ड्स तकासमा कर अलग अलग खाते कायम किया जावे। प्रतिवादीगण को हुक्म फिक्स नाई दवामी से पाबन्द किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रति. को सुनवाई अवसर दिया गया।

प्रतिवादीगण 1 ता 4 की तथा प्रति. 9 व 10 की तामील के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी

अन्य प्रतिवादी व वादी के मध्य हुए राजीनामा अदालत हाजा में पेश करने व दोनों पक्षों को सुनवाई के पश्चात न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29-7-16 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गयी जिसमें विवादित आराजियात का राजस्व रिकार्ड में अमल करने के पश्चात विवादित आराजियात का बाई मेट्स एण्ड बाउन्ड्स तकासमा करने व कुर्रेजात पेश करने के आदेश दिये गये।

मिलान किया गया

पढ़ा सुना

तहसीलदार कोटकासिम द्वारा दिनांक 18-10-2016 कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश की गयी. जिसका अवलोकन किया व कुर्रेजात पर दोनों पक्षों को सुना गया।

उभयपक्षकारान की ओर से कुर्रेजात पर एतराज किया तथा कुर्रेजात के सम्बन्ध में दोनों पक्षों की ओर से राजीनामा पेश किया गया। जिसके अनुसार धारा डिक्री किये जाने पर दोनों पक्षों

सत्यप्रतिलिपि

रीडर

उपखण्ड अधिकारी

कोटकासिम (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी

कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

द्वारा सहमति व्यक्त की गयी जिस पर विचार किया गया। विचारोपरान्त दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत है।

:: आदेश ::

वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि :-

(1) महेन्द्रसिंह पुत्र बेगराज जाति अहीर निवासी मतलबास को आ0ख0नं0 177/1-06 बीघा का खातेदार (2) सहीराम पुत्र श्योदान जाति अहीर निवासी सिलपटा को आ0ख0नं0 177/0-05, 179/1-12 किता 2 रकबा 1-17 बीघा का खातेदार (3) जसवन्त पुत्र बेगराज जाति अहीर निवासी मतलबास को आ0ख0नं0 178/1-06 बीघा का खातेदार (4) अमीलाल पुत्र बेगराज जाति अहीर निवासी मतलबास को आ0ख0नं0 178/0-08 बीघा, 177/0-19 बीघा किता-2 रकबा 1-07 बीघा का खातेदार (5) चानसिंह पुत्र रणजीत मीणा साकिन सिलपटा को आ0ख0नं0 178/0-11, 177/0-15 किता-2 रकबा 1-06 बीघा का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त आराजियात वाके ग्राम सिलपटा स्थित है। खसरा नम्बर 177 व 178 में रास्ता दक्षिण से उत्तर की और वादी महेन्द्र के हिस्से के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक रहेगा। रास्ता 1 1/2 गट्ठा चौड़ा रहेगा। रास्ते का रकबा वह वादी व प्रतिवादी संख्या 6,7,8 अर्थात चारों हिस्सेदारों का समान भाग इनकी आराजी में से घटाया जावे। जो चारों पक्षकारों के उपयोग-उपभोग के लिये रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अलग खाता कायम कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

इस दावा के साथ संलग्न अन्य वाद सहीराम बनाम सेवाराम का भी निर्णय उक्तानुसार इस दावा के निर्णय के साथ किया जाता है। निर्णय की प्रति सहीराम बनाम सेवाराम के वाद में शामिल की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27/12/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

मिलान किया गया
पढ़ा सुना

सत्यप्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)